Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2024, E-Journal, Vol. I, Issue XLVII, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

अनुसूचित जातियों की राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं निर्णय निर्माण में भागीदारी: मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में

डॉ. रमन प्रकाश* लाल कुमार साकेत**

* एसोसिएट प्रोफेसर (भूगोल) भारतीय महाविद्यालय, फर्रुखाबाद, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.) भारत
** शोधार्थी (भूगोल) भारतीय महाविद्यालय, फर्रुखाबाद, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश – किसी भी क्षेत्र में विकास के दो आयाम होते हैं। वस्तुनिष्ठ तथा व्यक्तिनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ आयाम जीवन की गुणवत्ता को इंगित करता है तथा व्यक्तिनिष्ठ आयाम जीवन के मूल्यों, सोचने के तरीके, आत्मविश्वास स्तर और दक्षता शामिल होते हैं। इन दो आयामों के आधार पर विभिन्न समुदायों के लोगों के विभिन्न पहलुओं में देखे जा सकते हैं। प्रस्तुत अध्ययन मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति की राजनीति के विभिन्न स्तरों पर उनकी भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करता है। विशेषकर स्थानीय चुनावो के संदर्भ में। अनुसूचित जाति समूह लंबे समय तक सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों से वंचित रहे हैं। अपने अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। इस अध्ययन में पाया गया है कि ये वर्ग राजनीतिक भागीदारी में प्रगति बनाई है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां वे जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है। इस अध्ययन में चुनौतियां भी उजागर हुई है, जिनका उन्हें सामना करना पड़ रहा है, जैसे भागीदारी की कमी, भेदभाव और संसाधनों तक सीमित पहुंच। लेकिन इन चुनौतियों को समाप्त करने के लिए राजनीति भागीदारी, साथ –साथ समाजिक न्याय, समानता के लिए नीतियों और योजनाओं को सही तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। जिससे इस समुदाय की राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं निर्णय–निर्माण में भागीदारी बढ़ सके।

शब्द कुंजी –राजनीतिक भागीदारी, अनुसूचित जाति, निर्णय–निर्माण, चुनाव वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ सामाजिक न्याय।

प्रस्तावना – भारतीय समाज एक विषम समाज है, जिसमें लोग विभिन्न जातियों और समुदायों में निवास करते हुए जीवन यापन करते हैं प्राचीन काल में भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जहां वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, वहीं अगले क्रम में क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्र थे। हालांकि शुरुआती काल में यह व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, धीरे–धीरे यह जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई। इस व्यवस्था में उनके कर्म के अनुसार उन्हें अलग–अलग अधिकार व कर्तव्य दिए गए थे। उस काल में वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रहे शूद्रों को सबसे कम अधिकार प्राप्त थे। कई अधिकारों, जैसे–राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि के निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त नहीं था। उनके उपयुक्त अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इस समुदाय का सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पतन होता गया। ये समाज अन्य समाजों की तुलना में अधिक पिछड़ गया।

'अनुसूचित जाति' शब्द एक राजनीतिक–संवैधानिक शब्द है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले साइमन कमीशन ने 1927 में किया था। इसके बाद, यह शब्द भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रयोग में आया। स्वतंत्रता उपरांत, अनुसूचित जाति शब्द को संविधान में इस उद्देश्य से शामिल किया गया कि उन्हें कुछ संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा प्रदान की जा सके। अनुसूचित जातियों को भारतीय जाति व्यवस्था में केवल एक जाति नहीं है, बल्कि यह शब्द समाज के पीड़ित और उपेक्षित वर्ग को इंगित करता है। इस वर्ग के लोगों को लंबे समय से उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और यहां तक की राजनीतिक रूप से भी शोषण किया गया है। इनकी दयनीय स्थिति और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए भारत सरकार ने स्वयं 1931 की जनगणना में इनकी पहचान और सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि, भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति शब्द को कहीं भी विधिवत परिभाषित नहीं किया गया है। इस शब्द का आंशिक उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, साथ ही, जहां वह राज्य है, वहां के राज्यपाल के परामर्श के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा ऐसी जातियां या जनजातीय या उनके हिस्से या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं। आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 (24) में उल्लेख किया गया है कि संसद कानून द्वारा किसी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची से किसी जाति,नस्ल या जनजाति को सम्मिलित या विवर्जित कर सकती है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों को उन लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो भारत सरकार (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में शामिल है।

इस शोध पत्र में सामान्य तौर पर यह जांचने का प्रयास किया गया है कि अनुसूचित जातियां वास्तव में स्थानीय समुदाय की राजनीतिक प्रक्रिया और निर्णय निर्माण में कितना भागीदारी दर्शा रही हैं ? क्या यह राजनीतिक भागीदारी उनमें आत्मविश्वास पैदा कर रही है और उनकी दक्षता को बढ़ा रही है? इन सभी मुद्दों का अनुसूचित जाति के विशेष संदर्भ में मध्यप्रदेश में स्थानीय स्तर पर अन्वेषण किया गया है।

शोध के उद्देश्य:

1. अनुसूचित जातियों की राजनीतिक क्षेत्र में वर्तमान भागीदारी की स्थिति का पता लगाना।

2. अनुसूचित जातियों में राजनीतिक भागीदारी और जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु सुझाव देना।

आंकड़ों का स्रोत व कार्य प्रणाली – प्रस्तुत शोध में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, जिसे सरकार के प्रकाशनों, आदेशों आदि को इंटरनेट के माध्यम से अन्वेषण करके प्राप्त किया गया है। मध्यप्रदेश में हुए 2022 में स्थानीय जिला पंचायत चुनाव में आरक्षित सीटों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। आंकड़ों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्गीकृत व सारणीबद्ध किया गया है। मैपिंग के लिए आर्क जीआइएस तथा क्यू जीआइएस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र – मध्यप्रदेश देश में एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति रखता है। अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यह प्रदेश हृदय प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश के 55 जिले हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार 21°6' से 26°30' उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 74°9' से 82°48' पूर्वी देशांतर के मध्य है। मध्य से 23°30' कर्क रेखा गुजरती है, जो मध्यप्रदेश को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। भारतीय मानक समय रेखा 82°30' डिग्री भी मध्यप्रदेश की सिंगरौली जिले से गुजरती है।

मध्यप्रदेश का स्थानिक मानचित्र

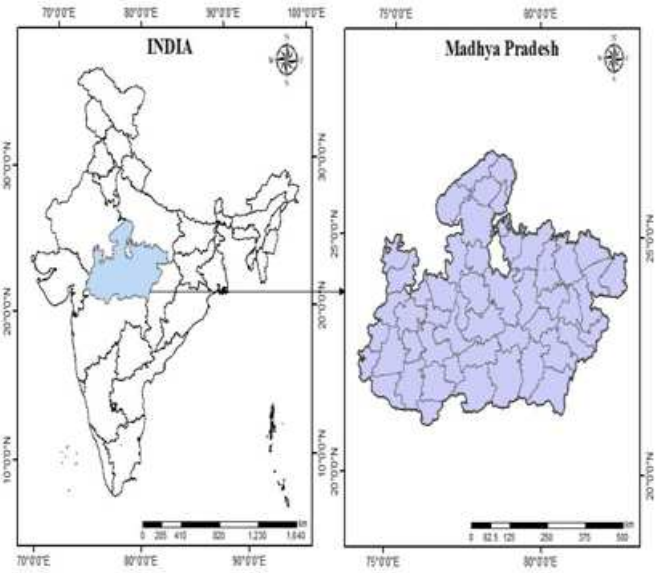

चित्र संख्या :1

मध्य प्रदेश जनसंख्या श्रेणीवार (प्रतिशत में)

श्रेणी/वर्ग	जनसंख्या (प्रतिशत में)
ओबीसी	42
एससी	15.6
एसटी	21.9
सामान्य	20

इस प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई 605 किलोमीटर तथा पश्चिम से पूर्व लंबाई 870 किलोमीटर है। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 है। यह एक भू-आवेशित राज्य है, जो क्रमश: पांच राज्यों, उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तार पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र तथा पूर्व में छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है, जिसकी कुल आबादी 7,26,26,809 है। प्रदेश प्रशासनिक रूप से 55 जिलों और 428 तहसीलों में विभाजित किया गया है। कुल आबाद ग्रामों की संख्या 54,903 तथा 22,8,12 ग्राम पंचायतें तथा 51 जिला पंचायत हैं। यह एक पठारी राज्य है, जिसकी जलवायु मानसूनी प्रकार की है।

राजनीति में अनुसूचित जातियों की भागीदारी – 1930 के दशक के शुरुआती काल तक अनुसूचित जातियों का सरकार पर या यूं कहें कि इन जातियों का राजनीति में कोई प्रभाव नहीं था। डॉ.बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में अनुसूचित जातियों की राजनीतिक शक्ति और सामाजिक न्याय के लिए संगठित आंदोलन के बाद, ब्रिटिश सरकार ने इन जातियों की समस्याओं पर कुछ विचार किया। डॉ.बी.आर. अंबेडकर ने स्थानीय स्वशासन में अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए सांप्रदायिक अवार्ड और पृथक निर्वाचन मंडल की पेशकश का कांग्रेस और महात्मा गांधी ने पुरजोर विरोध किया। इसके विरोध में गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। कांग्रेस और गांधी जी का मानना था कि यदि उन्हें पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया तो अनुसूचित जातियां उनके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। बाद में, पृथक निर्वाचन मंडल को वापस ले लिया गया। इसके विकल्प के रूप में संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया। इन राज्यों ने अनुसूचित जातियों को इस प्रावधान के तहत चुने जाने में सक्षम बनाया और इस प्रकार उनके समुदाय की समस्याओं को विधानसभा मंडल में आवाज दी। स्वतंत्रता उपरांत, भारत ने प्रजातांत्रिक सरकार के रूप को अपनाया। भारतीय संविधान ने भारतीय जनता में संप्रभुता निहित की।

सांसद तथा राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व – भारतीय संविधान में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सीटों की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता के पश्चात, केंद्र तथा राज्य सरकारों ने अलग-अलग कानूनों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु प्रतिबद्धता प्रकट की। अब विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में इन वर्गों की भागीदारी दृष्टिगोचर होती है। वर्तमान में, भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग की राजनीति के बिना कोई दल विजय हासिल नहीं कर सकता। दलित वर्ग भारतीय राजनीति में अपने आप को प्रतिस्थापित करने का भरपूर प्रयास कर रहा है और वह इसमें बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त की है।

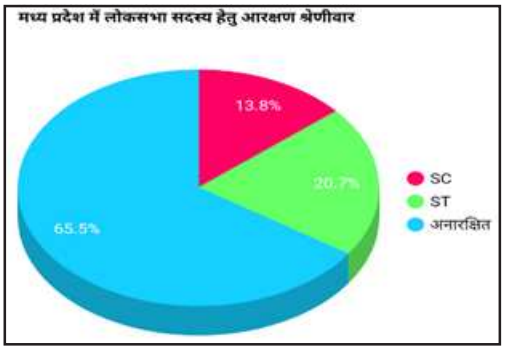

चित्र संख्या :2

उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में अनुसूचित जातियां राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल कर रही हैं। उत्तार प्रदेश जैसे राज्यों में उनकी भागीदारी अच्छी कहीं जा सकती है। वर्तमान में दलित राजनीति अपने अलग तेवर में दिख रही है। जिन राज्यों या जिन क्षेत्रों में

इनकी आबादी 20% से अधिक है, वहां कम से कम कुछ महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं। वे विभिन्न स्तर पर, चाहे वह पंचायत स्तर हो या जिला स्तर या फिर विधानसभा, अपनी स्थिति दर्ज करा रहे हैं। राजनीति में भागीदार बनकर मुद्दों को प्रस्तावित किए, निर्णय-निर्माण में भाग लिया, अपनी समस्याओं को प्रखरता से उठाया और कुछ हद तक मुद्दों को अपने पक्ष में करने में सक्षम रहे। उन्होंने भूमि, ऋण, स्वरोजगार और सब्सिडी जैसी सुविधाओं का उपयोग किया है। यह पूरी जटिल संरचना उनकी बदलती भागीदारी, दक्षता और आत्मविश्वास में योगदान कर रही है, क्योंकि उन्होंने अन्य उच्च जातियों द्वारा उनके खिलाफ किए गए अन्याय का भी मुकाबला किया है।

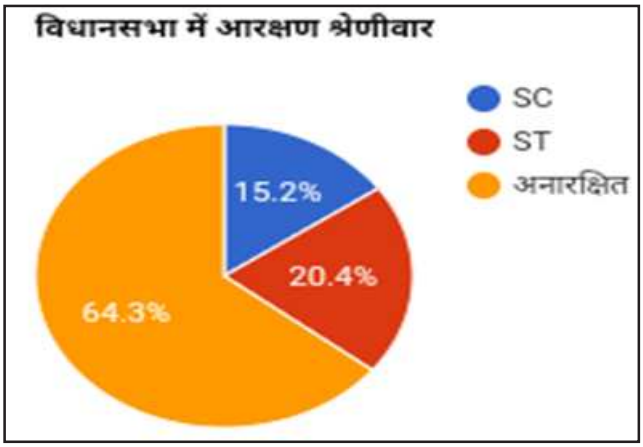

चित्र संख्या :3

संसद में मध्यप्रदेश के लिए कुल 40 सीटों का प्रावधान किया गया है, जिसमें लोकसभा की 29 तथा राज्यसभा की 11 सीटें प्रस्तावित की गई हैं। प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों में से 4 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए निम्न लोकसभा सीटें आरक्षित हैं- उज्जैन, देवास, भिंड, टीकमगढ़। मध्यप्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटों में से 82 सीटों पर अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु आरक्षित हैं, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए 35 सीटों का आरक्षण है। इसका विवरण इस प्रकार हैं-

तालिका संख्या :1

(अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

जिला पंचायत स्तर पर अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व – किसी भी समाज का स्थानीय स्वशासन में भागीदारी उसके राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकास को प्रतिबिंबित करती है। प्रदेश के पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अति महत्वपूर्ण होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष जिले की नीति निर्माण में भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अत: जहां जिस वर्ग के उम्मीदवार अध्यक्ष पद पर हैं, वहां उस वर्ग की प्रभुत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। मध्यप्रदेश में कुल 52 जिला पंचायत हैं, जिनमें कुल 52 जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रावधान है। जिला पंचायत अध्यक्षों में 22 सीटों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। इसमें से 8 सीटों पर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि 26 सीटें सामान्य वर्ग के लिए रखी गई है।

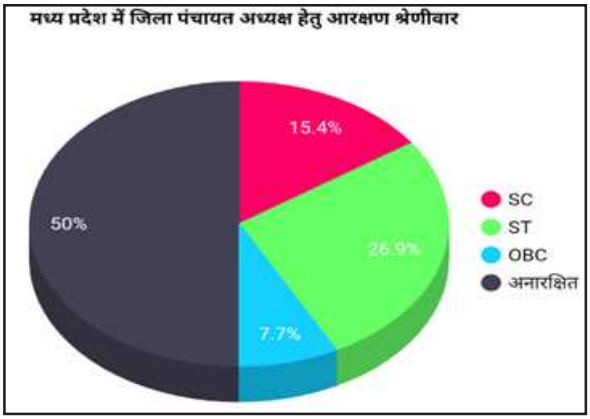

चित्र संख्या :4

तालिका संख्या :2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

निष्कर्ष – प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सीटें आरक्षित करने से अनुसूचित जातियों का राजनीतिक और निर्णय निर्माण में भागीदारी मात्रात्मक तथा गुणात्मक रूप से बढ़ी है। उनकी दक्षता और आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इस जागरूकता और आत्मविश्वास में संख्यात्मक शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती प्रतीत होती है। शिक्षा व अन्य व्यावसायिक क्षेत्र में भी उनकी प्रतिशतता बढ़ी हुई देखी जा सकती है। यह बढ़ी हुई प्रतिशतता सामाजिक समानता की प्राप्ति की दिशा में अग्रसरता को दिखाती है। भले ही, अनुसूचित जातियां व अन्य दुर्बल वर्गों का आरक्षण के प्रभाव से राजनीति में भागीदारी बढ़ी हो, लेकिन अभी यह लगभग आरक्षण तक ही सीमित है। यदि वास्तविकता में हम चाहते हैं कि उनकी भागीदारी वास्तव में बढ़े, तो हमें अभी बहुत अधिक दूरी तय करनी है। उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीति तथा शैक्षिक उत्थान के लिए बहुआयामी प्रयास करने होंगे, ताकि उनका बहुमुखी कल्याण हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, जे..दलित्स इन हरियाणा पॉलिटिक्स, इकोनामी एंड पॉलीटिकल वीकली, 1997
2. सिंह,डी.आर. लीडरशिप अमोंग शेड्यूल कास्ट चुघ पब्लिकेशन, प्रयागराज,1985
3. पर्वथम्मा, सी. तथा नरेन. न्यू हरिजन्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, आशीष पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 1984
4. आहूजा, राम. इंडियन सोशल सिस्टम, रावत पब्लिकेशन, 1999
5. जनगणना, भारत सरकार, 2011
6. कुमार, प्रमिला. मध्यप्रदेश: एक भौगोलिक अध्ययन, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, 2015
7. चौहान, बी.आर. पेपर प्रेजेंटेड इन नेशनल सेमिनार बाई डॉक्टर अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी, उदयपुर, अक्टूबर, 30, 31, 1993
8. खान, मुमताज अली. शेड्यूल कास्ट्स एंड देयर स्टेट्स इन इंडिया, उत्पल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली, 1980
9. राय, रामाश्रय. दलित डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
10. जायसवाल, सुविरा,वर्ण जाति व्यवस्था, ग्रंथ शिल्पी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
11. कुमार, रविंद्र. इंपैक्ट ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट एंड शेड्यूल्ड कास्ट, अनमोल पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 2002

तालिका संख्या –1: मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति सें संबंधित वोट जनसंखिकीय विवरण

विधानसभा (एससी के लिए आरक्षित)	एससी (वोट%)	विधानसभा (एससी के लिए आरक्षित)	एससी (वोट%)	विधानसभा (एससी के लिए आरक्षित)	एससी (वोट%)
देवसर	15.56	घाटिया	30.12	अशोक नगर	23.25
परासिया	15.5	जतारा	27.8	करेरा	21.99
अमला	17.6	सर्वेर	24.11	खंडवा	14.97
महेश्वर	19.02	नरयावली	25.52	अबांह	24.89
गोटेगांव	22.47	हट्टा	21.59	बेरसिया	22.13
बीना	23.25	सांची	19.16	आलोट	22.93
गुनौर	24.47	भांडेर	27.75	आगर	23.52
पिपरिया	15.74	चंदला	27.95	मल्हारगंज	20.73
तराना	30.33	गोहद	26.78	गुना	18.09
रायगांव	22.95	सोनकच्छ	25.12	जबलपुर (पं)	18.92
आस्था	29.61	मनगवा	18.24	सारंगपुर	19.78

तालिका संख्या –2 :मध्यप्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची श्रेणीवार

जिले के नाम	आरक्षण की स्थिति	जिले के नाम	आरक्षण की स्थिति	जिले के नाम	आरक्षण की स्थिति
अलीराजपूर	एसटी	कटनी	एससी	डिंडोरी	एसटी
अगरमलवा	अनारक्षित	खरगोन	अनारक्षित	दतिया	अनारक्षित
अनुपपूर	अनारक्षित	मंदसौर	ओबीसी	धार	अनारक्षित
अशोक नगर	अनारक्षित	मंडला	एसटी	देवास	एससी
बुरहानपुर	एसटी	नीमच	अनारक्षित	दमोह	ओबीसी
भिंड	अनारक्षित	सागर	अनारक्षित	ग्वालियर	एससी
बड़वानी	एसटी	सिवनी	एससी	नरसिंहपुर	एसटी
बालाघाट	अनारक्षित	सतना	एसटी	निवाडी	अनारक्षित
बैतुल	अनारक्षित	शहडोल	अनारक्षित	पन्ना	अनारक्षित
भोपाल	ओबीसी	श्योपुर	अनारक्षित	रीवा	एसटी
छतरपुर	अनारक्षित	सिंगरौली	एसटी	रतलाम	एससी
गुना	ओबीसी	सीधी	अनारक्षित	रायसेन	अनारक्षित
हरदा	एसटी	शाजापुर	ओबीसी	राजगढ़	अनारक्षित
नर्मदापुरम	एसटी	सीहोर	अनारक्षित	उज्जैन	अनारक्षित
इंदौर	एसटी	शिवपुरी	अनारक्षित	उमरिया	एसटी
जबलपुर	एसटी	टीकमगढ	अनारक्षित	विदिशा	अनारक्षित
खण्डवा	एसटी	छिंदवाडा	एससी	झाबुआ	अनारक्षित
मुरैना	एसटी				

****